भारत सरकार
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 6439
02 अप्रैल, 2026 को उत्तर देने के लिए

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना

†6439. श्री तनुज पुनियाः
श्रीमती ज्योत्स्ना चरणदास महंतः

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2021-22 से अब तक खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) के अंतर्गत श्रेणी-वार और वर्ष-वार कुल कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं और कितने आवेदन स्वीकृत किए गए हैं;
(ख) पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत संवितरित की गई निधियों का श्रेणी-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) वैश्विक बाजारों में भारतीय जनजातीय ब्रांडेड उपभोक्ता खाद्य उत्पादों की उपस्थिति और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है;
(घ) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों विशेषकर आदिवासियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी समितियों के लिए प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत स्वीकृत ऋणों की कुल संख्या का वर्ष-वार और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(ङ) पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत कुल कितनी ऋण राशि स्वीकृत और संवितरित की गई है और छत्तीसगढ़ सहित देश में उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के लिए वर्ष-वार औसत ऋण की मात्रा कितनी है; और
(च) छत्तीसगढ़ से आने वाले जनजातीय ब्रांडेड उपभोक्ता उत्पादों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री
(श्री रवनीत सिंह)

(क): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपी) के अंतर्गत दिनांक 31 / 12 / 2025 तक प्राप्त और स्वीकृत आवेदनों की कुल संख्या, श्रेणी-वार और वर्ष-वार निम्नानुसार है:

क्र. सं.	श्रेणी	क्षेत्र	प्राप्त आवेदनों की संख्या	अनुमोदनों की संख्या	कुल	स्वीकृति वर्ष
1	श्रेणी -I	रेडी टू ईट (आरटीई) / रेडी टू कुक (आरटीसी)	34	12	51	2021
		फल और सब्जियां (एफ एंड वी)	40	26		
		समुद्री	11	09		
		मोज़ेरेला चीज	06	04		
2	श्रेणी –II	इवोवेटिव	62	2	15	2021
		जैविक	36	13		
3	श्रेणी –III	ब्रांडिंग और मार्केटिंग (बी एंड एम)	94	73	73	2021
4	मिलेट आधारित उत्पादों के लिए पीएलआई योजना (पीएलआईएसएमबीपी)	बड़ी संस्थाएँ	8	8	29	2022
		सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (एमएसएमई)	25	21		
	कुल		**316**	**168**	**168**	

(ख): पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत वितरित की गई धनराशि का विवरण, श्रेणी-वार और वर्ष-वार निम्नानुसार है:

(करोड़ रुपए में)

वित्तीय वर्ष वार वितरित प्रोत्साहन	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
श्रेणी-1 फल और सब्जियां (एफ एंड वी)	59.745	233.672	175.066	449.157
श्रेणी-1 रेडी टू ईट (आरटीई) / रेडी टू कुक (आरटीसी)	343.995	303.428	239.715	410.641
श्रेणी-1 (समुद्री)	72.31	31.43	10.37	172.131
श्रेणी-1 (मोज़ेरेला चीज़)	8.91	11.99	0	35.37
श्रेणी-2 (इनोवेटिव और जैविक)	1.83	2.234	0.54	2.73
श्रेणी -3 (ब्रांडिंग और मार्केटिंग)	0	0	0	99.209
मिलेट आधारित उत्पाद	0	3.897	22.674	23.762
कुल	**486.79**	**586.651**	**448.365**	**1193.00**

(ग) और (च): खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना को कार्यान्वित कर रहा है, जो सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), सहकारी समितियों और स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को क्रेडिट-लिंक्ड पूंजी सब्सिडी, क्षमता निर्माण और ब्रांडिंग और विपणन समर्थन के माध्यम से सहायता प्रदान करता है, जिससे मूल्य वर्धन और उद्यमिता को बढ़ावा मिलता है। यह योजना खरीद, सामान्य सेवाओं और विपणन में पैमाने का लाभ उठाने के लिए एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) दृष्टिकोण अपनाती है। देश भर के 48 जिलों में लघु वनोपज (एमएफपी) को ओडीओपी के रूप में पहचाना गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के जिले भी शामिल हैं, जो स्थानीय और जनजातीय संसाधनों पर आधारित उत्पादों के विकास का समर्थन करते हैं। यह योजना खुदरा श्रृंखलाओं और डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ गठजोड़ के माध्यम से उत्पादों की बाज़ार पहुंच और दृश्यता बढ़ाने के लिए ब्रांडिंग और विपणन सहायता भी प्रदान करती है। दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक, पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए 27 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। तथापि, पीएमएफएमई योजना के ब्रांडिंग और मार्केटिंग घटक के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य से कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

इसके अलावा, एमओएफपीआई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) भी कार्यान्वित कर रहा है जिसके अंतर्गत भारतीय खाद्य उत्पादों की वैश्विक दृश्यता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए विदेशों में ब्रांडिंग और विपणन के लिए सहायता प्रदान की जाती है। ये प्रावधान वैश्विक बाज़ारों में भारतीय खाद्य उत्पादों की उपस्थिति और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने में योगदान करते हैं।

(घ): प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम उन्नयन (पीएमएफएमई) योजना के अंतर्गत, दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 1,72,707 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए ऋण स्वीकृत किए गए हैं। इनमें से 9600 अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों, 269 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), 1427 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और 90 सहकारी समितियों को ऋण स्वीकृत किए गए हैं। वर्ष-वार और राज्य / संघ-राज्य क्षेत्र वार विवरण **अनुबंध-I** में दिया गया हैं।

(ङ): पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत, 1,72,707 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 14,182.22 करोड़ रुपये की सावधि ऋण स्वीकृति राशि के साथ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 11,264.20 करोड़ रुपये की राशि के साथ 1,40,462 ऋण वितरित किए गए हैं। जनजातियों, किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) और सहकारी समितियों के लिए औसत ऋण की मात्रा क्रमशः 0.06 करोड़ रुपये, 0.75 करोड़ रुपये, 0.05 करोड़ रुपये और 1.20 करोड़ रुपये है। इसमें से छत्तीसगढ़ राज्य के लिए औसत ऋण की मात्रा अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिए 0.06 करोड़ रुपये और एसएचजी लाभार्थियों के लिए 0.28 करोड़ रुपये है। पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्वीकृत और वितरित किए गए कुल ऋण (सावधि ऋण) की वर्षवार जानकारी और उपरोक्त प्रत्येक श्रेणी के लिए औसत ऋण स्वीकृति का औसत ऋण की मात्रा **अनुबंध-II** में दिया गया है।

अनुबंध-I

दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न सं. 6439 के भाग (घ) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति लाभार्थियों के लिए स्वीकृत ऋणों की राज्यवार और वर्षवार संख्या:

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	4	166	297	569	459	1495
3	अरुणाचल प्रदेश	1	21	28	47	51	148
4	असम	7	95	66	235	277	680
5	बिहार	0	33	103	69	28	233
6	चंडीगढ़	0	0	0	0	0	0
7	छत्तीसगढ	5	21	17	43	40	126
8	दादर और नगर हवेली दमन और दीव	0	0	1	3	0	4
9	दिल्ली	0	0	2	1	0	3
10	गोवा	0	2	0	0	0	2
11	गुजरात	0	2	7	9	28	46
12	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
13	हिमाचल प्रदेश	0	5	21	35	35	96
14	जम्मू-कश्मीर	2	12	43	154	151	362
15	झारखंड	0	40	255	276	153	724
16	कर्नाटक	5	69	80	88	86	328
17	केरल	0	2	6	14	8	30
18	लद्दाख	6	26	32	17	14	95
19	मध्य प्रदेश	14	202	367	729	481	1793
20	महाराष्ट्र	8	391	612	400	253	1664
21	मणिपुर	50	10	2	15	6	83
22	मेघालय	5	23	39	100	44	211
23	मिज़ोरम	0	7	13	19	28	67
24	नागालैंड	0	25	155	180	80	440
25	उड़ीसा	6	23	11	15	13	68
26	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
27	पंजाब	0	0	0	0	0	0
28	राजस्थान	1	5	6	15	17	44
29	सिक्किम	2	9	11	2	2	26
30	तमिलनाडु	1	52	37	22	5	117
31	तेलंगाना	12	125	289	91	36	553
32	त्रिपुरा	3	13	11	11	10	48
33	उत्तर प्रदेश	1	3	18	13	13	48
34	उत्तराखंड	0	7	33	8	16	64
35	पश्चिम बंगाल	0	0	0	0	2	2
	सकल योग	**131**	**1389**	**2562**	**3180**	**2336**	**9600**

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के लिए स्वीकृत ऋणों की राज्यवार और वर्षवार संख्या:

क्र.सं.	राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र	वर्ष 2021-22	वर्ष 2022-23	वर्ष 2023-24	वर्ष 2024-25	वर्ष 2025-26	कुल
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	0	4	1	0	5
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	1
4	असम	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	0	10	5	5	20
6	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0
7	दादर और नगर हवेली दमन और दीव	0	0	0	0	0	0

8	दिल्ली	0	0	0	6	8	14
9	गोवा	0	0	0	0	0	0
10	गुजरात	0	0	0	3	2	5
11	हरियाणा	0	0	1	1	0	2
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
13	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	2	1	3
14	झारखंड	0	0	2	2	0	4
15	कर्नाटक	0	6	5	3	3	17
16	केरल	0	0	7	4	4	15
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	0	1	5	8	2	16
19	महाराष्ट्र	0	3	21	27	24	75
20	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
21	मेघालय	0	0	0	0	0	0
22	मिज़ोरम	0	0	0	0	1	1
23	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
24	उड़ीसा	1	2	0	0	0	3
25	पुदुचेरी	0	0	0	0	0	0
26	पंजाब	0	1	1	0	0	2
27	राजस्थान	0	0	1	13	10	24
28	सिक्किम	0	0	1	0	0	1
29	तमिलनाडु	1	3	4	2	4	14
30	तेलंगाना	0	1	0	0	0	1
31	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश	0	2	6	17	12	37
33	उत्तराखंड	0	0	0	4	2	6
34	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	2	3
सकल योग		**2**	**19**	**68**	**99**	**81**	**269**

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्व-सहायता समूहों (एसएचजी) के लिए स्वीकृत ऋणों की राज्यवार और वर्षवार संख्या:

क्र.सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**	**वर्ष 2025-26**	**कुल**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	1	0	0	1	2
3	अरुणाचल प्रदेश	0	1	5	2	3	11
4	असम	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	56	174	226	114	570
6	छत्तीसगढ	0	0	1	0	2	3
7	दादर और नगर हवेली दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
8	दिल्ली	0	0	0	5	6	11
9	गोवा	0	0	0	0	1	1
10	गुजरात	0	0	0	1	0	1
11	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
13	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	0	0	2	1	0	3
15	कर्नाटक	0	3	11	4	0	18
16	केरल	0	2	15	15	6	38
17	लद्दाख	0	1	0	0	0	1
18	मध्य प्रदेश	0	1	2	17	6	26
19	महाराष्ट्र	0	58	116	201	77	452
20	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
21	मेघालय	0	0	0	0	0	0

22	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0
23	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
24	उड़ीसा	14	84	33	78	54	263
25	पुदुचेरी	0	0	1	0	0	1
26	पंजाब	0	1	0	0	0	1
27	राजस्थान	1	2	0	0	1	4
28	सिक्किम	0	3	1	0	0	4
29	तमिलनाडु	0	0	11	0	0	11
30	तेलंगाना	0	0	1	0	0	1
31	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश	0	0	1	0	0	1
33	उत्तराखंड	0	0	0	0	1	1
34	पश्चिम बंगाल	0	0	1	1	1	3
कुल योग		**15**	**213**	**375**	**551**	**273**	**1427**

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत सहकारी समितियों के लिए स्वीकृत ऋणों की राज्यवार और वर्षवार संख्या:

क्र.सं.	**राज्य/संघ-राज्य क्षेत्र**	**वर्ष 2021-22**	**वर्ष 2022-23**	**वर्ष 2023-24**	**वर्ष 2024-25**	**वर्ष 2025-26**	**कुल**
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0	0
2	आंध्र प्रदेश	0	1	1	0	0	2
3	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0	0	0	0
4	असम	0	0	0	0	0	0
5	बिहार	0	3	1	0	1	5
6	छत्तीसगढ	0	0	0	0	0	0
7	दादरा और नगर हवेली दमन और दीव	0	0	0	0	0	0
8	दिल्ली	0	0	1	3	8	12
9	गोवा	0	1	0	0	0	1
10	गुजरात	0	1	0	0	0	1
11	हरियाणा	0	0	0	0	0	0
12	हिमाचल प्रदेश	0	0	0	0	1	1
13	जम्मू-कश्मीर	0	0	0	0	0	0
14	झारखंड	0	0	0	0	1	1
15	कर्नाटक	0	1	3	0	2	6
16	केरल	0	0	1	4	2	7
17	लद्दाख	0	0	0	0	0	0
18	मध्य प्रदेश	0	1	0	2	0	3
19	महाराष्ट्र	0	0	6	5	3	14
20	मणिपुर	0	0	0	0	0	0
21	मेघालय	0	0	0	1	0	1
22	मिज़ोरम	0	0	0	0	0	0
23	नागालैंड	0	0	0	0	0	0
24	उड़ीसा	0	0	0	0	0	0
25	पुदुचेरी	0	1	0	0	0	1
26	पंजाब	0	2	0	0	0	2
27	राजस्थान	0	0	1	2	2	5
28	सिक्किम	0	0	0	0	0	0
29	तमिलनाडु	0	4	14	3	1	22
30	तेलंगाना	0	0	1	0	0	1
31	त्रिपुरा	0	0	0	0	0	0
32	उत्तर प्रदेश	0	1	0	0	1	2
33	उत्तराखंड	0	0	0	0	1	1
34	पश्चिम बंगाल	0	0	0	1	1	2
कुल योग		**0**	**16**	**29**	**21**	**24**	**90**

अनुबंध-II

दिनांक 02.04.2026 को उत्तर के लिए "खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना" के संबंध में लोकसभा अतारांकित प्रश्न 6439 के भाग (ङ) के उत्तर के संदर्भ में अनुबंध

छत्तीसगढ़ सहित देश में पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत स्वीकृत, वितरित और औसत ऋण की मात्रा के कुल ऋण (सावधि ऋण) का वर्षवार विवरण

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत (संख्या) ऋण	स्वीकृत सावधि ऋण (करोड़ रु. में)	वितरित ऋण (संख्या)	वितरित राशि (करोड़ रु. में)
2021-22	3218	366.68	2469	216.41
2022-23	28492	2166.63	21674	1611.30
2023-24	54594	4400.10	48960	3753.03
2024-25	50875	4152.52	42508	3490.50
2025-26	35528	3096.30	24851	2192.97
कुल	**172707**	**14182.22**	**140462**	**11264.2**

छत्तीसगढ़ राज्य के लिए, दिनांक 31 दिसंबर 2025 तक 1442 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के लिए 211.28 करोड़ रुपये की ऋण स्वीकृति राशि के साथ ऋण स्वीकृत किए गए हैं और 154.10 करोड़ रुपये की राशि के साथ 1115 ऋण वितरित किए गए है।

वित्तीय वर्ष	स्वीकृत (संख्या) ऋण	स्वीकृत सावधि ऋण (करोड़ रु. में)	वितरित ऋण (संख्या)	वितरित राशि (करोड़ रु. में)
2021-22	24	1.78	15	0.903
2022-23	211	23.94	166	17.321
2023-24	350	66.40	324	57.729
2024-25	396	51.95	342	40.375
2025-26	461	67.21	268	37.812
कुल	**1442**	**211.28**	**1115**	**154.10**

पीएमएफएमई योजना के अंतर्गत औसत ऋण की मात्रा का वर्षवार विवरण

(करोड़ रु में)

श्रेणियाँ	वित्तीय वर्ष 2021-22	वित्तीय वर्ष 2022-23	वित्तीय वर्ष 2023-24	वित्तीय वर्ष 2024-25	वित्तीय वर्ष 2025-26
एसटी लाभार्थी	0.15	0.04	0.04	0.04	0.04
एफपीओ	0.62	0.63	1.00	0.93	0.75
एसएचजी	0.05	0.06	0.05	0.05	0.06
सहकारी समितियां	0	1.47	1.68	0.75	0.89
